

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58 अरेरा हिल्स भोपाल (म0प्र0)-462 011

क्रमांक एफ-37-06/2009/तीन/572
प्रति,


भोपाल, दिनांक 20/01/2010

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला-समस्त
(म0प्र0)

विषय:-त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2009-10 की मतगणना के संबंध में।

म0प्र0 पंचायत निर्वाचन नियम, में मतदान दल द्वारा मतगणना कराए जाने के निर्देश है, इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि मतदान दल द्वारा मतगणना उस स्थिति में कराए जाने की बाध्यता होती है जब मतगणना का कार्य मतदान केन्द्र पर ही कराया जा रहा हो।

यदि मतगणना का कार्य विकासखण्ड मुख्यालय पर सम्पन्न कराया जा रहा हो तो मतदान दल के माध्यम से ही मतगणना कराए जाने की बाध्यता/अनिवार्यता नहीं है।



(अनुपम राजन)
सचिव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
दूरभाष क्रमांक-0755-255527